

उत्तर प्रदेश सरकार  
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड  
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग,  
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती-2018 की प्रक्रिया के अन्तर्गत अब तक अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही के अन्तर्गत जाति/निवास प्रमाण-पत्र के कारण श्रेणी परिवर्तित किये गये अभ्यर्थियों की, पुनः अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्यवाही में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों की सूची।


संख्या: पीआरपीबी-एक-1(140)/2018

दिनांक: जनवरी 11, 2019

आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 के पदों पर सीधी भर्ती-2018 से सम्बन्धित अभ्यर्थियों हेतु बोर्ड द्वारा प्रकाशित सूचना दिनांक 07-01-2019 के क्रम में ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जिनका निर्धारित जाति/निवास प्रमाण-पत्र होने के बावजूद आवेदित श्रेणी से परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी में करते हुये डीवी/पीएसटी की कार्यवाही करते हुये असफल किया गया एवं ऐसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों जिनका निर्धारित जाति/निवास प्रमाण-पत्र होने के बावजूद आवेदित श्रेणी से परिवर्तन कर सामान्य श्रेणी में करते हुये डीवी/पीएसटी एवं पीईटी की कार्यवाही करते हुये सफल किया गया और उनके द्वारा अपनी ही श्रेणी में रखे जाने का अनुरोध किया गया है। श्रेणी परिवर्तन से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित की जा रही है। ऐसे समस्त अभ्यर्थियों की डीवी/पीएसटी की कार्यवाही दिनांक 12-01-2019 को जनपद- आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर नगर, झाँसी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं मीरजापुर के परीक्षण केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह अपना पूर्व में डीवी/पीएसटी हेतु निर्गत प्रवेश-पत्र एवं फोटो युक्त पहचान पत्र तथा डीवी/पीएसटी हेतु आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूलप्रति एवं प्रमाणित छाया प्रति के साथ निर्धारित तिथि पर समय से उपस्थित होंगे।

2- उक्त संवीक्षा हेतु मान्य जाति प्रमाण-पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र का विशिष्ट विवरण निम्नवत है:-

- (1) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में जाति प्रमाण-पत्र दिनांक 01-04-2017 से पंजीकरण की अन्तिम तिथि 22-02-2018 तक का निर्गत होना चाहिए।
- (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र पंजीकरण की अन्तिम तिथि 22-02-2018 से पूर्व किसी भी तिथि का निर्गत होना चाहिए।
- (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए तथा किसी भी प्रकार के क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आवेदन/दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए उ0प्र0 सरकार द्वारा उ0प्र0 की सेवाओं के लिए निर्धारित प्रारूप में निर्गत निवास प्रमाण-पत्र वर्तमान समय का (जो इस बात का प्रमाण हो कि अभ्यर्थी अभ्यर्थन की अवधि में उ0प्र0 का निवासी था) होना चाहिए।

  
अपर सचिव, भर्ती  
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,  
लखनऊ।